संख्या- 2023/ 001-1296422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, **2023**

विषय:- मा**0** मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद मेरठ में प्रस्तावित शूटिंग रेन्ज के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-21/2023-24, दिनांक 10.04.2023 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में शासनादेश संख्या-382/बयालिस-2021-सी0एम0-48/2019, दिनांक 30.07.2021 द्वारा जनपद मेरठ में प्रस्तावित शूटिंग रेन्ज के निर्माण के सम्बन्ध में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 865.34 लाख जी0एस0टी0 सहित (रूपया आठ करोड़ पैसठ लाख चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 100.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-2022/001-42010991712022, दिनांक 13.07.2022 द्वारा रू0 100.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-2023/001-319/422022Shootingदिनांक 12.01.2023 द्वारा 175.74 लाख अर्थात अब तक कुल धनराशि रू0 375.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 781.30 लाख के सापेक्ष जनपद मेरठ में प्रस्तावित शूटिंग रेन्ज के निर्माण कार्य हेतु अवशेष सम्पूर्ण देय धनराशि रू0 4,89,60,000 (रुपये चार करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 4,89,60,000(रुपये चार करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत को अनुमोदित किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(3) प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यो को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जायेगा।

(5) प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानक एवं उच्च कोटि की हो, इस हेतु निदेशक, खेल कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ता समिति से जॉच करा लें।

(15) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(16) निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 17 मार्च, 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) शासनादेश संख्या-382/बयालिस-2021-सी0एम0-48/2019, दिनांक 30.07. 2021, शासनादेश संख्या-2022/001-42010991712022, दिनांक 13.07.2022 तथा शासनादेश संख्या-2023/001-319/422022Shooting, दिनांक 12.01.2023 में निहित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,89,60,000 (रुपये चार करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038007000 जनपद वाराणसी व मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-1296422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त् (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।